संख्या– 903 / 11–2–2023–9(47) / 17–टी0सी0–217

प्रेषक,

अनूप कुमार माहेश्वरी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, **लखनऊ**।

राज्य, कर अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉकः: 14 जून, 2023

विषयः– अधिसूचना को मुद्रित करने एवं गजट में प्रकाशन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–694 / ग्यारह–2–23–9(47) / 17–टी0सी0–217 –उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(276)–2023, दिनांक 13 जून, 2023, की अंग्रेजी एवं हिन्दी की एक–एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इसकी 1000 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुये इसे दिनांक 13 जून, 2023, के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 500 प्रतियां आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एवं 500 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– यह अधिसूचना असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायेगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप कुमार माहेश्वरी)
संयुक्त सचिव।

अपर आयुक्त (GST)

कृते आयुक्त
15.06.2023

787

संख्याः– 903 (1) / 11–2–2023, तददिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। (प्रचार–प्रसार हेतु)।
3– विधायी विभाग (अनुभाग–1), उ0प्र0 शासन।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार माहेश्वरी)
संयुक्त सचिव।

14
15/06/23

268
16/06/2023
JC (GST)

J.C. (GST)

gov.press adhi

Anil DC
16/6/23

श्री पाण्डेय
IT अनुभाग द्वारा Portal पर upload कराते हुए पत्रावली पर रखें।
19.06.23

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-694/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी0सी0-217-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(276)-2023

लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर एतदद्वारा अधिसूचना संख्या- 428/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(106)-2020 दिनांक 30 अप्रैल, 2020, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में दिनांक 01 अगस्त 2023 से शब्द "दस करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच करोड़ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

आज्ञा से,

13/6/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव